पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–03 / 2019 सो० 1094

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदधिकारी,
मधेपुरा / पूर्णिया / कैमूर।

पटना, दिनांक– 18/06/2019

विषयः– **जिलों में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायकों को कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **मधेपुरा का पत्रांक–414–2, दिनांक–28.05.2019, पूर्णिया का पत्रांक–518, दिनांक– 28.05.2019 एवं कैमूर का पत्रांक–643, दिनांक–29.05.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिलों में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित करने के संबंध में मार्गदशन हेतु प्राप्त हुआ है।

2. उक्त क्रम में निदेशानुसार कहना है कि मिशन कार्यालय के पत्रांक–710 दिनांक–03.07.2015 (प्रति संलग्न) जो सभी विभाग / जिलों को संबोधित है, में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के द्वारा कार्यपालक सहायक का तैयार पैनल से अन्य विभाग / कार्यालयों हेतु भी कार्यपालक सहायक की सेवा लिये जाने पर किसी विभाग / कार्यालय / पदाधिकारी द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा निर्मित पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है, तो संबंधित विभाग / कार्यालय / पदाधिकारी को कार्यपालक सहायक की सेवा उन्हीं सेवा शर्तो तथा मानदेय भुगतान के साथ प्रदान की जाएगी, जो सेवा शर्ते लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक पर लागू होती है।"

3. यह उल्लेखनीय है कि मिशन कार्यालय के पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के विभिन्न वर्गों का निर्धारण करते हुए मानदेय में वृद्धि / निर्धारण किया गया है, सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रति संलग्न है। तदालोक में जिलों में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित करने का निर्णय संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा लिया जाना है।

4. विदित है कि ई०पी०एफ० की कटौती कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में की जानी है। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसइटी द्वारा मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित करने हेतु निर्गत पत्रांक–586, दिनांक–25.03.2019 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18.6.19

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–03 / 2019 सो० 1094, दिनांक 18/06/2019**

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

18.6.19

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\PREM\AO.docx475

(71)

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–15/2010(खण्ड) सो0–710

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी विभागीय प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 03/07/2015 ~~जून 2015~~

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के द्वारा कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस पैनल से अन्य विभाग/कार्यालयों हेतु भी कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है, परन्तु विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य विभागों/कार्यालयों/पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा लिये जाने पर उन्हें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की तुलना में भिन्न मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इस कारण मिशन कार्यालय को विभिन्न स्तरों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी विभाग/कार्यालय/पदाधिकारी द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा निर्मित्त पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है तो संबंधित विभाग/कार्यालय/पदाधिकारी को कार्यपालक सहायक की सेवा उन्हीं सेवा शर्त्तों तथा मानदेय भुगतान के साथ प्रदान की जाएगी, जो सेवा शर्त्तें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक पर लागू होती है।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 2.7.15
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

(70)

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था०–02/2017, सो0 586

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ0 प्रतिमा,
अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 25/03/2019

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– मिशन सोसाइटी का पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा वाद संख्या–17372/2017 में पारित निर्णय।

महाशय,

मिशन सोसाइटी के प्रासंगिक पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का पुर्ननिर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि के कटौती आदि का प्रावधान भी किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा वाद संख्या–17372/2017 में पारित निर्णय के अनुपालन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक–18.03.2019 में यह निदेश प्राप्त हुआ है कि दिनांक–26.03.2019 तक सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित कर लिया जाए।

उक्त क्रम में यह निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए:–

1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, 38 जिलों तथा बिहार भवन-के स्तर पर मिशन सोसाइटी अंतर्गत विभिन्न सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों अनुसार स्थापना होने तथा मानदेय का भुगतान किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, 38 जिलों तथा बिहार भवन का अलग–अलग पंजीकरण तुरन्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत करा लिया जाए।
2. कार्यरत सभी कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि का खाता भी अविलम्ब खोल लिया जाए। पंजीकरण तथा खाता खोलने संबंधित प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है।
3. इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 03 क्षेत्रिय कार्यालयों के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों का पता तथा संपर्क पदाधिकारी से संबंधित विवरणी संलग्न है।

(69)

4. इसके लिए सोसाइटी तथा जिला स्तर पर दो–दो नोडल पदाधिकारी नामित कर दिये जाए। जिला स्तर पर स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी एक नोडल पदाधिकारी होगें। कोड प्राप्त करना, कर्मियो को चिहिन्त करना, उनके भविष्य निधि खाते खोलना, समय समय पर कटौती की राशि निर्धारित करना तथा इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व उनका होगा।
5. दुसरे नोडल पदाधिकारी जिला स्तर पर नजारत के प्रभारी पदाधिकारी होगें। वह प्रत्येक कर्मी हेतु निर्धारित कटौती के अनुसार उनके मादनेय से कर्मी के अंश की कटौती तथा नियोक्ता (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/जिला पदाधिकारी) के अंश की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि सगठन के पोर्टल के माध्यम से नेट बैकिंग का उपयोग करते हुए ससमय जमा करना सुनिश्चित करेगें, सबंधित रिर्टन आदि भी फाईल करेगें तथा इस क्रम मे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व उनका होगा।
6. सोसाइटी (मुख्यालय) स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारी/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना) तथा वित्त एवं लेखा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होगें।
7. बिहार भवन स्तर पर भी इसी प्रकार कार्यो का बटवारा करते हुए दो पदाधिकारी को स्थानिक आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा।
8. भविष्य निधि की राशि को मात्र नेट बैकिंग के माध्यम से जमा किये जाने का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि संगठण द्वारा किया गया है। मात्र भविष्य निधि की राशि (कर्मचारी का अंशदान तथा नियोक्ता का अंशदान) को नेट बैकिंग के माध्यम से जमा करने हेतु मिशन सोसाइटी स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर तथा बिहार भवन स्तर पर एकल रूप से संचालित खाता खोला जाएगा। इस पर वित्त विभाग के पत्रांक–3274, दिनांक–07.05.2018 के क्रम मे प्रसासी विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) की सहमति प्राप्त है। पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार मानदेय का भुगतान दो हस्ताक्षरो की व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा तथा उक्त क्रम में कर्मचारी के अंश की कटौती की राशि तथा नियोक्ता के अंश की राशि को इस खाते में अंतरित किया जाएगा। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नेट बैकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन पोर्टल के माध्यम से भविष्य निधि जमा करने की कार्रवाई की जाएगी।
9. मिशन सोसाइटी स्तर पर वित्त एवं लेखा पदाधिकारी द्वारा नेट बैकिंग युक्त इस खाता का एकल रूप से संचालन किया जायेगा।
10. जिला स्तर पर नजारत के प्रभारी पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नेट बैकिंग युक्त इस खाता का एकल रूप से संचालन किया जायेगा।
11. बिहार भवन स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नेट बैकिंग युक्त इस खाता का एकल रूप से संचालन किया जायेगा।

कृपया इसे सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–26.03.2019 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/3/19

(डॉ0 प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0–02/2017, सो0 586, दिनांक– 25/03/2019

प्रतिलिपि:–स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

25/3/19

अपर मिशन निदेशक